शोध प्रबंध का शीर्षक

आधुनिक बिहार के मातहत समाज का
सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन–
एक ऐतिहासिक अध्ययन (1947 से 2010 तक)

YBN विश्वविद्यालय, राँची
की
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि के लिए
शोध प्रबन्ध की रूपरेखा
समाज विज्ञान संकाय (इतिहास)

....
शोध निर्देशक

जितेन्द्र कुमार
....
शोध छात्र

इतिहास विभाग
YBN विश्वविद्यालय, राँची

विषय– आधुनिक बिहार के मातहत समाज का सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतनः 1947 से 2010 तक एक ऐतिहासिक अध्ययन

भूमिका–आधुनिक बिहार राज्य का अभ्युदय सर्वप्रथम 1912 ई0 में हुआ जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। तदुपरांत 1936 ई0 में उड़ीसा से और 15 नवम्बर 2000 ई0 में झारखण्ड से अलग होकर वर्तमान बिहार का परिदृश्य सामने आया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान में बिहार की सामाजिक व राजनीतिक योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। आजादी के महत्वपूर्ण सपूतों में वीर कुँअर सिंह, पटना के पुस्तक विक्रेता पीर अली, जय प्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती–किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। संविधान निर्माण में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद थे। स्वास्थ्य कारणों से अस्थायी अध्यक्ष पटना के सचिदानन्द सिन्हा को बनाया गया। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया जो दो बार लगातार राष्ट्रपति रहे। बाबू जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, जे.पी., राम मनोहर लोहिया, जार्ज फर्नाडीस, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद व नीतिश कुमार का योगदान आधुनिक बिहार के सामाजिक व राजनीतिक निर्माण में महत्ती भूमिका है।

अकादमी महत्वः–

इस विषय का मूल उद्देश्य यह है, कि आधुनिक बिहार के इतिहास से सीख लेकर बिहार का नव निर्माण करना है। समाज के सारे वर्ग के लोगों का विकास हो इसके साथ–साथ कोई विकास के पायदान में पीछे न छूट जाए, बिहार का सर्वांगीण विकास हो। जिससे विकास के अग्रिम पायदान पर बिहार पहूँचे व देश के GDP में इसका अग्रणी भूमिका हो, और एक विकसित बिहार बने, तथा जो प्राचीन बुद्ध और अशोक का बिहार है उस गौरव को पुनः स्थापित करके देश में सामाजिक न्याय की चर्चा एक अलग और नई दिशा में हो।

प्रस्तावना—

बिहार राज्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का दूसरा बड़ा राज्य है। इसका मैदान उत्तर में नेपाल, दं0 में झारखण्ड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दं0 में झारखंड तक फैला हुआ बिहार परिवर्तनशील मौसम के कुप्रभावों का शिकार होता रहा है। जहाँ उतरी क्षेत्र समतल मैदानी भाग है वही दं0 क्षेत्र में पेड़ों और पहाड़ों का बहुतायत है। एक ओर उत्तर बिहार में सरयू, गंडक व गंगा जैसी नदियों के बहने से इस क्षेत्र का मैदानी हिस्से बहुत ही उपजाऊ है। वहीं कृषि क्षेत्र में कार्यरत प्रति व्यक्ति के हिसाब से खेती योग्य जमीन की उपलब्धता कम है। 2011 के आँकड़े के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बंगाल को पीछे कर बिहार बन गया है।

नदी—जल के महत्वपूर्ण स्त्रोत होने के बावजूद यह हमपर निर्भर करता है, कि इस जल का उपयोग हम पीने के पानी और सिंचाई हेतु करते हैं या नही करते हैं। प्राकृतिक रूप से संपन्न होने के बावजूद बिहार देश का पिछड़ा राज्य है। जैसा कि हम जानते हैं भारत करीब दो सौ वर्षो के ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के गुलामी से आजाद होने के बाद आज एक नव—उपनिवेश के रूप में उभरा है। इसी कारण यहाँ आज भी पूर्व—पूँजीवादी तकनीक बड़े पैमाने पर मौजूद है। अतः देश के साथ आधुनिक बिहार में भी बेरोजगारी, गुप्त बेरोजगारी, अर्द्ध—बेरोजगारी गरीबी आदि अविकास का माहौल गहराता जा रहा है। यह न केवल बढ़ते हुए दर से बेरोजगार स्त्रियों और पुरूषों की संख्या समाज में बढ़ रहा है, बल्कि भीषण बेरोजगारी की अभिव्यक्ति इधर समाज में अपराधीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव और संगठित हिंसा के भयावह रूप में प्रदर्शित हो रही है।

इसके अलावा अधिकांशतः आम जनता अभी भी सामन्ती पहचानों से जुड़े मुद्दों जैसे धार्मिक, जातिवाद, भाषावाद, नस्लवाद, साम्प्रदायिकता आदि से ग्रसित है। इन विकास अवरोधी मुद्दों को दूर करने हेतु समाजवादियों ने बिहार में समय–समय पर आंदोलन करते रहे हैं। और उससे निजात दिलाने का भरपूर और अथक प्रयास किया है और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है।

इंदिरा गाँधी के प्रधानमंत्री के काल में जब देश में आपातकाल लगा तब समाजवादी नेताओं ने उनका पुरजोर विरोध किया। जे.पी., कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, जार्ज फर्नांडीस, लालू प्रसाद, रामानंद तिवारी, आदि महत्वपूर्ण नेता जेल गए। और जय प्रकाश नारायण ने पटना में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इस तरह देशभर में विरोध किया जाने लगा। इंदिरा गाँधी की सरकार को हटाकर समाजवादियों ने मोरारजी देसाई व चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया। तथा उनके द्वारा संविधान में किये गये मूलभूत संशोधनों को दुबारा से 44 वें संविधान संशोधन द्वारा (42 वें संशोधन) की खामियों को दूर करके निम्नवर्गीय, गरीब, दलित, महिलायें व पिछड़ों की समस्याओं को समाधान करने का सफल प्रयास किया गया। जे.पी., लोहिया, जगजीवन बाबू, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, लालू यादव, राबड़ी देवी और नीतिश कुमार बिहार में सरकार के गठन करके राज्य में अपने कार्यों द्वारा विकास में अग्रणी भूमिका निभाये हैं। बिहार के साम्यवादी और समाजवादी आंदोलनों का नेतृत्व 1955 ई0 तक उच्च जातियों के हाथों में केन्द्रित रहा। परंतु महान समाजवादी नेता डॉ0 राम मनोहर लोहिया का पर्दापण बिहार के समाजवादियों को एक नई दिशा प्रदान की। बिहार, डॉ0 राम मनोहर लोहिया का एक समाजवादी प्रयोगशाला रहाः–खासकर इस राज्य की राजनीति में दलित–पिछड़ो के हाथ में नेतृत्व स्थापित करने हेतु और राज्य की समाजवादी आंदोलनो में उनकी संख्या बल (भागीदारी) बढ़ाने हेतु।

1956 ई0 से समाजवादी आंदोलन की एक धारा लोहिया जी के नेतृत्व में चली, और सारे देश में समाजवादी आंदोलन के हाशिये पर पड़े कुछ लोग लोहिया की धारा में शामिल हुए, जिनको लोहिया जी ने ''शिवजी की बारात'' भी कह कर संबोधित किया है। मुख्य धारा के लोग उनसे अलग रहे। बिहार में लोहिया का साथ देनेवाले लोग पिछड़े वर्ग के थे, इसका प्रमुख कारण यह था कि डॉ0 लोहिया ने अपनी जाति–नीति का सघन पचार–प्रसार किया था, और डॉ0 अम्बेडकर से मिलकर एवं संयुक्त दल बनाने का प्रस्ताव रखा था। 8 वर्ष बाद ही यह धारा व्यवस्थित हो सकी और बिहार में एक पूरा (दलित–पिछड़ों) का दल तैयार हो गया।

कर्पूरी ठाकुर बिहार में समाजवादी धड़े के सबसे महत्वपूर्ण नेता बन गए। उसके बाद बिहार के सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में पिछड़ों और दलितों का प्रभाव बढ़ता ही गया, और इनके बाद उत्तराधिकारी के रूप में दलितों–पिछड़ों के प्रमुख नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव का अभ्युदय हुआ। लालु प्रसाद यादव पहली बार 1985 में चुनाव जीतकर 1989 में बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता बने, पुनः 1990 में मुख्यमंत्री बने। 1992 ई0 में लालू प्रसाद द्वारा पिछड़ो के उत्थान हेतु केन्द्र (संघ) सरकार द्वारा आरक्षण लागू करवाया गया, जो सामाजिक न्याय हेतु एक मील का पत्थर साबित हुआ। तब केन्द्र में भी जनता पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे।

सामाजिक और आर्थिक असमानता वाले सभी समाजों में स्वतः स्फूर्त अदृश्य आरक्षण की व्यवस्था होती है। यह आरक्षण समाज के विशेषाधिकार के रूप में होता है। बाद में उसको संवैधानिक रूप प्रदान किया गया है।

यह उनलोगों के पक्ष में होता है, जिनके हाथ में ताकत होती है और वे वंचितों को सभी लाभों से दरकिनार कर देते है। यह आरक्षण ताकतवर लोगों के पक्ष में तब तक बना रहता है, जब तक कि जान–बूझकर की गई कार्रवाई से उसे रोका न जाए और इसका वितरण अन्य लोगों में न किया जाए। जब लाभ बहुत कम होता है। व जरूरतमंद लाभार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और उसे सभी लोगों में समान रूप से वितरित करने के लिए कोई कार्रवाई की जाती है तो इससे स्वभाविक रूप से उन लोगों को नाराजगी होती है, जिन्होंने लंबे समय से अपना हक समझकर उस पर कब्जा किया है। केंद्र सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद बिल्कुल यही हुआ, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए (O.B.C) शिक्षा और सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिये जाने का प्रावधान था। परंतु उस समय केवल सरकारी नौकरियों में [27%] आरक्षण की व्यवस्था की गई। बाद में 2005–06 में शिक्षा में भी आरक्षण को लागू किया गया। सौभाग्य से सरकार के उपरोक्त निर्णय को न्यायालय ने [बहुमत के फैसले को] बरकरार रखा। जब लोगों ने इसे न्यायालय में रिट दायर किया था। अभी तो NDA की सरकार ने 10% उच्च जाति के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को चिन्हित कर आरक्षण की व्यवस्था की है, जो एक अच्छी व सराहनीय पहल है। जिससे समाज के हासिये के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक विकास हेतु यह आवश्यक है, परन्तु ध्यान रहे कि जो वास्तिविक लाभ के अधिकारी हैं उन्हे ही इसका लाभ मिले। इसका गलत तरीके से लोग फायदा न उठाएँ ?

1. इनकी जनसंख्या कितनी है ?
2. देश के संसाधन पर इनका अधिकार कितना है ?
3. भागीदारी (साधन–संसाधन में शिक्षा, रोजगार, खेती की जमीन, व्यवसाय) में इनका कितना अधिकार और भागीदारी है ?
4. नीति आयोग के हिसाब से देश में रह रहे लोगों के गरीबी स्थिति को समझने के लिए एक दिशा–निर्देश जारी किया गया है!

(EWS) रिजर्वेशन की नीति में गरीबी रेखा को अलग से परिभाषित व निर्धारित किया गया है। जो कि पूर्व के योजना आयोग के दिशा–निर्देश को खारिज करने का कार्य कर रही है, ऐसे में हमारे सामने दो गरीबी रेखा का मापदण्ड है। जो हाशिये के समाज के लिए अलग और समाज के साधन संपन्न लोगों के लिए अलग गरीबी रेखा है ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है, कि संविधान की प्रस्तावना में नीहित समता, को कैसे हासिल किया जाए? इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, जो वास्तिविक हकदार है उसे ही इसका लाभ मिले। जिससे समतामूलक समाज का सर्वांगीण विकास हो सके।

लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में ये सभी लोग ज्यादा अनिवार्य हैं, जिन्हे आरक्षण देकर उनकी आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षिक तथा सांस्कृतिक स्थिति में सुधार करके विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का एक सार्थक प्रयास किया गया है।

अगर ऐसा नहीं हो पाता है तब लोकतंत्र का स्वरूप बिगड़ जाएगा और यह कुछ लोगों का और कुछ लोगो के लिए शासन में (अधिकार व स्वरूप) बदल जाएगा, जैसा कि इस देश में आजकल हो रहा है। आरक्षण पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए। यह न सिर्फ मानव के अधिकार का अनिवार्य पहलू है और गरिमा के साथ जीने के अधिकार के लिए जरूरी है, बल्कि देश के लिए भी इतनी ही ज़रूरी है।

''लोहिया द्वारा उठाये गये बिहार के पिछड़े नेताओं ने पिछड़ो के उत्थान पर ही ध्यान केन्द्रित किया, आर्थिक नीतियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। बिहार में दलित–पिछड़ो और महिलाओं की स्थिति को तभी सार्थक ढंग से सुधारा जा सकता है, जब आर्थिक नीतियाँ भी प्रगतिशील हों। बिहार में सामाजिक न्याय के उभार से सामाजिक समानता का लक्ष्य उस अनुपात में पूरा नहीं हो सका जिस अनुपात में आशा की गई थी।

इसका मुख्य कारण यह रहा है कि उस समय राज्य की आर्थिक नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सामाजिक उत्थान (दलितों–पिछड़ों को आगे बढ़ाने हेतु) एकांगी होकर जातिवादी दलदल में बिखर रहा है। जातियों में नयें समीकरण के चलते कुछ जातियों में मध्यम वर्ग उभरा जो पहले नहीं था, कुछ जातियों का एक विशिष्ट वर्ग (धनाढ्य वर्ग) हो गया। लेकिन बिहार की आबादी का आधे से बड़ा हिस्सा घोर सामाजिक–आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हो गया। और इस तरह विकास के पायदान पर और जातियों की तुलना में काफी पीछे छुट गया। सभी को विकास में बराबर की भागीदारी मिले, इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के समय में पिछड़ी जातियों में जिनकी स्थिति ज्यादा खराब थी, वो विकास के पायदान में काफी पीछे थे। उनको चिन्हित कर के पिछड़ा वर्ग (OBC) से अलग कर के अति पिछड़ा वर्ग (EBC) (Extreme Backward class) की सूची में जोड़कर अलग कर दिया। ताकि समाज की सभी निम्न जातियों के लोगों तक विकास पहूँचे, और इस तरह वे विकास की मुख्य धारा में जुड़ सके और समाज का सर्वांगीण विकास हो। इसी तरह का कार्य माननीय मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने भी अपने समय में किया है। उन्होंने दलित जातियों में जो ज्यादा विकास से महरूम हैं उन्हे दलित से अलग करके महादलित की सूची में जोड़ा गया। और इस तरह उनके विकास के लिए अलग से नियम–कानून बनाये जाने लगे। और उनको विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

आधुनिक बिहार की विरासत में एक कारक दलितों व पिछड़ों का उत्थान है तो एक अन्य कारक मुसलमानों की स्थिति भी है।

15 NOV 2000 को झारखण्ड राज्य बनने के बाद बिहार में अल्पसंख्यक समाज के रूप में मुसलमान ही बचे हैं। स्वतंत्रता के ठीक पहले बिहार में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए थे उनसे गाँधीजी को गहरा सदमा पहूँचा था। बिहार की राजनीति में जैसे–जैसे दलित–पिछड़ों का नेतृत्व प्रभावशाली हुआ है वैसे–वैसे बिहार में सांप्रदायिक दंगे की आशंका कम हो गयी है। कर्पूरी ठाकूर व लालू प्रसाद के सरकार में दंगे लगभग समाप्त ही हो गये। नीतिश कुमार भी दंगे रोकने में सफल साबित हुए है। यद्यपि यत्र–तत्र राज्य के विभिन्न क्षेत्रो में उत्पाती व उग्रवादी तत्व धार्मिक कारक बताकर दंगे का स्वरूप देने की कोशिश की, परंतु सरकार ठोस प्रशासनिक कार्रवाई करके उसे शांत कर दिया (काबू में कर लिया)।

स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में अब्दूल कयूम अंसारी ने अखिल भारतीय स्तर पर मुसलमानों को संगठित करने का प्रयास किया था। वह बिहार के थे। पिछड़े–मुस्लिम सहयोग से पिछड़े मुसलमानों का जागरण हुआ यह भी बिहार की विरासत में दर्ज है। गाँधीजी ने जन सत्याग्रह का पहला प्रयोग चम्पारण, बिहार में ही सफलतापूर्वक पूरा किया। लोहिया और जे0 पी0 आदोलन की निर्णायक शुरूआत बिहार से ही हुई। जे0 पी0 ने सम्पूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जिसमें 7 क्रांतियाँ है। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्विक, शैक्षणिक और अध्यात्मिक क्रांति। भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना ये सभी कार्य आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वे इसी व्यवस्था की उपज हैं। वे तभी पूरी हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए। और संपूर्ण व्यवस्था की परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति आवश्यक है।

बिहार के लोग अपनी रियासत से सीख लेकर अपना क्षेत्रीय इतिहास को याद करके उसकी आलोचनात्मक समीक्षा करें, और अपना आत्मचेतना, पैदा करें, और अनुकूल परिस्थितियाँ बनने पर किसी भी क्षण एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी–समाजवादी आंदोलन का सूत्रपात कर सकते हैं, और इस तरह वर्तमान बिहार, भारत के नव–निर्माण का प्रधान केन्द्र बन जायेगा, तथा भारत के गौरव–गाथा को पूनः स्थापित करने में सफल हो पायेगा। बिहार में पारंपरिक आय और रोजगार के स्त्रोतों को समाप्त हो जाने से गाँवों के नौजवान या तो पास–पड़ोस के शहरों या कस्बों में दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं या दूर–दराज के स्थानों पर घर–परिवार छोड़कर काम की तलाश में भटकते रहते हैं। इस तरह पूँजी का सबसे बड़ा स्त्रोत श्रम, जो राज्य के विकास में योगदान करता वह दूसरे राज्यों को कम कीमत पर उपलब्ध हो जाता है। इसका कारण यह है, कि दूसरे राज्यों में भी काम खोजनेवालों के अनुपात में उपलब्ध रोजगार बहुत कम हैं।

दूसरा, बिहार के पतन का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वह है आत्मविश्वास का उठ जाना। यह आम अनुभव है, कि लोगों में बिहार के उत्थान की उम्मीद समाप्त हो गई है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था भी बिहार को पतन की ओर से जाने वाला असली कारक है। वर्त्तमान सामाजिक व्यवस्था के रहते बिहार किसी भी मॉडल के तहत तरक्की नहीं कर सकता है। जाति आधारित समाज तरक्की नहीं कर सकता है। जाति–व्यवस्था को नजरअंदाज करने के कारण ही हम उस बिहार को खोज़ने में असफल रहे हैं जिसने बुद्व, महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सूफ़ी संत और भक्ति परंपरा के कवियों का निर्माण किया और मानवता को नई उँचाईयों तक ले जाने का यश अर्जित किया था। जब तक वर्तमान समाजिक संरचना के खिलाफ निर्णायक आंदोलन नहीं होगा, तब तक नया बिहार तैयार नहीं हो सकता है।

आज आधुनिक बिहार की मूल समस्या विषमतामूलक समाज में समतामूलक समाज स्थापित करने की है। समाज में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और कमजोर वर्ग के लोगों को बराबरी का अधिकार दिलाना है। सामाजिक गैर बराबरी ने आर्थिक प्रगति में अवरोध उत्पन्न किया है और विकास की रणनीति ने इस गैर बराबरी को पुष्ट किया है। एक तरफ सामाजिक न्याय और समानता का नारा अवश्य लगाया गया है, परंतु विकास के कार्यक्रमों ने इस दिशा को बोझिल बना दिया है, आज सबसे बड़ी यही दुविधा है। किसी समाज की मानवीयता का निर्धारण इस तथ्य से होता है कि वह अपने कमजोर, वंचित तथा उत्पीड़ित सदस्यों को किस प्रकार की सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करता है। किसी आधुनिक समाज में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समुदायों के प्रभावशाली सदस्यों पर उपयुक्त नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है। सामाजिक न्याय की यही कसौटी है।

बिहार में विकास को राज्य की कार्यसूची के केन्द्र में स्थापित करने हेतु इसे आंदोलन के तौर पर जमीन पर उतारना होगा। यहाँ आंदोलन शब्द का प्रयोग संकीर्ण राजनीति और दलीय भावना से उपर उठकर व्यापक जन–अभियान के तौर पर किये गये कार्यों हेतु किया गया है। यदि इस अर्थ में आंदोलन को समझेंगे तो इसका आशय यही हुआ कि जन–अभियान के तौर पर सामूहिक प्रयासों की निरंतरता को बनाए रखना,हमें निरंतर सामूहिक प्रयासों के लक्ष्य एवं प्रक्रिया के तौर पर विकास को देखना होगा। इस प्रक्रिया में विकास के लिए आम सहमति बनानी होगी। जो दलीय विचारधारा एवं संगठन के उपर होगा और इसमें विकेन्द्रीकरण निहित होगा। विकेन्द्रीकरण के आभाव में योजनाएँ न तो जनता के हितों के अनुरूप बनेंगी और न ही जमीन पर उतरेंगी।

व्यापक जन भागीदारी अथवा यों कहें कि जन अभियान सही योजना के निर्माण तथा क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। समग्रता को ध्यान में रखकर विकास को बहुपक्षीय बनाकर ही इसकी सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। शोषण की प्रणाली को समाप्त करते हुए समता पर आधारित प्रतिमान ही बिहार के लिए विकास का वैकल्पिक मॉडल होगा। (जिन राज्यों में सामाजिक स्तरीकरण का जातीय स्वरूप अधिक कठोर नहीं रहा है, वहाँ विकास की गति निश्चित तौर पर तेज रही है। कुल मिलाकर जातिभेद की कठोरता तथा समाज में बढ़ती जातीय असहिष्णुता को विकास के बाधक कारकों के रूप में रेखांकित किया जा सकता है।

समाज निर्माण में एक दूसरा मुद्दा महिलाओं की साभाजिक स्थिति का है। विकास एवं पिछड़ेपन के संदर्भ में सामान्यतः इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान कम ही गया है। परिवार से समुदाय तक महिलाओं की वस्तु स्थिति पूर्णतः दूसरे दर्जे की बनी हुई है। समाज में केवल महिलाओं की काबिलियत को ही नकारने का रिवाज नहीं है, बल्कि इनकी क्षमता एवं भूमिका व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित होती रही है, वहाँ भी इन्हें नजरअंदाज करना आम बात है। कार्यकुशलता एवं कौशल, कार्यशैली एवं अनुशासन जैसे गुणों में महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा अधिक गुणवान होना लोगों को खलने लगता है। परिणामस्वरूप आर्थिक उत्पादन में इनकी भूमिका को समाज ने पूँजी के रूप में देखा और महसूस तक नहीं किया है तो इसे स्वीकार करना तो दूर की बात है। सामाजिक जीवन में महिलाओं की निम्न स्थिति का आधार यह भी है, कि इन्हें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के अधिकारों से वंचित किया गया है। जिस क्रम में जातीय कठोरता अधिक होती गई, लगभग उसी क्रम में महिलाओं की परिस्थिति कमोवेश निम्न एवं कमजोर होती गई।

ब्राहमणवादी व्यवस्था में स्त्रियों की आजादी का सिकुड़ना वैसा ही हुआ जैसा कि जातीय संरचना में दलितों का हुआ। बहरहाल स्त्री–उत्पीड़न (दहेज, घरेलू हिंसा, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ित करना) बिहार के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे आधुनिक बिहार के विकास के लिए ध्यान देना और हर तरह से उनकी स्थिति में सुधार करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए उनके चहुँमुखी क्षेत्रों–(सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक, शैक्षिक व राजनीतिक)में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अलग से विद्यालय व महाविद्यालय खोलने की जरूरत है। पुरानी विद्यालय व महाविद्यालय में महिला सीटें आरक्षित होनी चाहिए।

" नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधुरी है।–डॉ0 लोहिया ने कहा है"। वर्तमान नीतिश सरकार तो महिला शिक्षा पर बल दिया है। स्कूली लड़कियों हेतु पोशाक, पुस्तक व छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। अभी और सुधार की गुंजाईश बची है,जिसे समय–समय पर पूरा करते रहना है। जिससे समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। नीतिश सरकार ने पंचायत व नगरपालिका के चुनाव में महिलाओं को 50% सीटे आरक्षित की हैं, यही हाल भारत के स्तर पर भी दूसरे राज्यों में लागू किया गया है। प्रथम राज्य बिहार है। खुशी की बात है, राज्य सरकार की नौकरियों में बिहार में महिलाओं को 35% सीटें आरक्षित की गयी है। परंतु अभी राज्य विधानसभा और संसद में महिलाओं की 33% सीटों का आरक्षण बिल पास करना बाकी है, यह एक चिंता का विषय है। समय–समय पर महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु राज्यों व केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाये जाने चाहिए। महिलाओं के बारे में पुरूषवादी सोच को बदलना होगा तथा हर परिवार में उन्हें मान–सम्मान देना होगा। बिना महिलाओं कि स्थिति में सुधार किये हम विकसित बिहार व विकसित भारत (देश) की परिकल्पना को साकार नही कर सकते हैं।

साहित्यिक समीक्षा–

समाजवाद से सर्वोदय की ओर पुस्तक में जेपी ने हाशिये के लोगों को लघु व कुटीर उद्योग–खादी, हस्तकरघा चलाने हेतु प्रशिक्षण की बात कही है व उनकी शिक्षा-दीक्षा पर बल दिया है। खासकर महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए स्कूल व महिला कॉलेज खोलने की बात कही है।

कर्पूरी कुंज नामक पुस्तक में सामाजवाद को बढ़ावा देते हुए अति पिछड़ों के विकास हेतु अलग से कानून बनाकर व्यवस्था की बात की है। बिहार में पिछड़ा–दलित आंदोलन को जेपी व लोहिया के बाद कर्पूरी ठाकुर का ही योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अध्ययन से पता चलता हैं कि पिछड़ी जातियों के विकास हेतु सरकारी सेवाओं व शिक्षा में अध्ययन हेतु आरक्षण एक निहायत व अनिवार्य पहलू है, जिससे वे विकास की मुख्य धारा में सहयोगी हों और लोकतंत्र के सफलता हेतु यह अनिवार्य भी है।

आधुनिक भारत में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों को एम. एन. श्रीनिवास ने अच्छे ढंग से विस्तृत विवरण किया है। उसका राजनीतिक परिदृश्य में विश्लेषण किया जा सकता है।

एन आबिद हुसैन ने देश की राष्ट्रीय संस्कृति पर व्यापक प्रकाश डाला है। आरंभ से आधुनिक काल तक के सांस्कृतिक विकास की मुख्य विशेषताओं को चिन्हित किया है। उसी प्रकार से गाँधी जी ने पंचायतों के सशक्त बनाने को प्रमुखता दी है। गाँधीजी का सामाजिक चिंतन भी काफी अद्वितीय है। उन्होंने दलितों के उद्धार हेतु हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया है। सर्वोदय व स्वदेशी पर बल दिये हैं।

गाँधी, नेहरू, टैगोर व अम्बेडकर पर लिखी गई डॉ0 एम. सी. जोशी की पुस्तक है, इससे इन चारों महापुरूषों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विचारो के बारे में जानने को मिलता है। जिससे बिहार की वर्तमान को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

बिहार की विरासत और नवनिर्माण की चुनौती नामक शीर्षक से शिवदयाल जी ने पुस्तक का सम्पादन किया है इसमें उन्होंने बिहार की विरासत, बिहार के पिछड़ेपन के मूल कारण और बिहार से पलायन के दर्द को साझा किया है। बिहार में भूमि सम्बनध, नदी व बाढ़ की विभीषिका को बखूबी समझाया है। इन सारे समस्याओं को समझकर बिंहार का पूर्ननिर्माण बेहतर ढंग से किया जा सकता है।

बिहार पर दूसरी पुस्तक बिहार का सचः नामक शीर्षक से उर्मिलेश ने कृषि संकट और किसानो के संघर्ष का व्यापक वर्णन किया है। इसमें भूस्वामियों का भी जिक्र किया है। बिहार पर तीसरी पुस्तक आर्थिक विकासः– बिहार की त्रासदी नामक शीर्षक से डॉ0 हरिशंकर प्रसाद एवं डॉ0 मीरा दत्ता ने आर्थिक रूप से बिहार की अर्थव्यवस्था और समस्याओं का संकलन किया है। बिहार में मजदूरो किसानों का शोषण, विकास के पायदान में पिछे छूटता गाँव, गाँवों में जातीय परम्परायें व समस्याओं का अच्छा संकलन है।

चौथी पुस्तक नीतिश कुमार जी के कार्यकाल में बिहार में किये गये विकास कार्यों का सम्पादन पंकज कुमार झा ने सुशासन के आईनें में नया बिहार नामक शीर्षक से प्रकाशित किया है। आधुनिक और समसामयिक विकास को जानने हेतु यह एक अच्छा संकलन है। इन उपरोक्त विश्लेषणों से बिहार की समस्याओं और कमियों का अवलोकन करके उनको दूर करने के तरीके और उपाय द्वारा आधुनिक बिहार को विकसित बिहार बनाया जा सकता है। ये तरीके और उपाय आधुनिक बिहार के निर्माण और विकास में "मील का पत्थर" साबित होंगी।

शोध विधि–

1. प्राचीन पांडुलिपियों, गजेटियर्स, समाचारपत्रों, और पत्रिकाओं के दुलर्भ अंकों, विभिन्न ग्रंथो से विषय से संबंधित सामग्री का संकलन किया जाएगा। इस हेतू ग्रंथालयों, संग्रहालयों, निजी ग्रंथालयों, समाचार पत्रों के कार्यालयों, विषय से संबंधित पत्रकारों के परिजनों के पास उपलब्ध अंकों, इंटरनेट आदि का प्रयोग करूँगा।

2. जैसा कि आधुनिक अनुसंधान इंटरनेट की सहायता के बिना अधूरी है। यह इसलिए क्योंकि प्राचीन से लेकर नवीनतम सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध हो रहा है। विषय से संबंधित सामग्री की इंटरनेट पर खोज की जाएगी और प्राप्त सामग्री का मूल्यांकन कर उचित उपयोग किया जाएगा।

3. गुणवत्ताओं एवं विशेषताओं के आधार पर प्राप्त सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन किया जाएगा। इस हेतु कंप्यूटर जैसे संसाधनों का भी प्रयोग करूँगा।

4. समाजवादियों के जीवन शैली पर लिखी गई यात्रा–वृतांतों की विश्वासनीयता की जाँच के लिए उस विशेष जगह की यात्रा भी करूँगा।

5. इस शोध–कार्य में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों को इकट्ठा किया जाएगा तथा इस विषय से संबंधित किताबों पत्र पत्रिकाओं, पाण्डुलिपियों का भी प्रयोग करूँगा।

अध्यायीकरण :–

1. परिचयः–

2. समाजवादियों की भूमिका
(1947 से 1970 के दशक में)।

3. जे0पी0 आन्दोलन
(1970 से 1980 के दशक तक)।

4. मंडल आयोग
(1975 से 1995 तक)।

5. बिहार में सामाजिक न्याय पर चिंतन
(1947 से 2010 तक) एक संक्षिप्त ऐतिहासिक अध्ययन

6. उपसंहार

निष्कर्ष–

सामाज के हाशिये के लोगों के लिए सामाजिक व राजनीतिक भागीदारी का होना सफल लोकतंत्र के लिए काफी आवश्यक है। अगर भारत को आधुनिक राष्ट्र बनाना है, तो लोकतंत्र को मजबूती के साथ स्थापित करना होगा और ये लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र और राजनैतिक लोकतंत्र जैसे पड़ावों से होकर गुजरेगा। जब तक देश में स्वतंत्रता, समानता, और समाजिक न्याय व बंधुत्व जैसे सामाजिक लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित नहीं होंगे, तब तक देश में राजनैतिक लोकतंत्र के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर देश में समाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र में हाशिये के लोगो की भागीदारी को उचित स्थान मिल जाता है तब उनकी आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक व बौद्विक विकास हो पायेगा। बिहार राज्य और भारत अपने आधुनिक नवनिर्माण के रास्ते पर चलकर विकसित बनने में सफल होगा। इस तरह आधुनिक बिहार देश के नवनिर्माण का केन्द्र बिन्दु साबित होगा तथा देश को एक नई दिशा देने में सफल होगा।

संभावित परिकल्पना–

जो विषय किताबों, जर्नल और अखबारों में बिखरी पड़ी है, उसे संग्रहित एवं समायोजित करके एक जगह इक्ट्ठा करना और नया चिंतन व विमर्श को समाज के सामने लाना है।

अब तक जो शोध हुए हैं, जिसमें मातहत समाज के लोगों की आवाज के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाया है। उनके समाजिक व राजनीतिक चिंतन के लिए अकादमी में कम स्थान मिला है। इस शोध के माध्यम से उनको एक यथाउचित स्थान प्रदान कराना है, तथा जो प्राचीन बुद्ध और अशोक का बिहार है, उस गौरव को पुनः स्थापित करके देश में सामाजिक न्याय की चर्चा एक अलग और नई दिशा में हो, जिसमें बिहार का अग्रणी भूमिका हो।

संदर्भ ग्रंथ

1. युगपुरूष जय प्रकाश नारायण–स0 उमाशंकर वर्मा।
2. जय प्रकाश नारायण एक जीवनी–रामवृक्ष बेनीपुरी।
3. जय प्रकाश तुम लौट आओ–ममता मेहरोत्रा।
4. समाजवाद से सर्वोदय की ओर–जयप्रकाश नारायण (अनु0 डॉ0 ओमप्रकाश गुप्त)
5. महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर–डॉ0 भीम सिंह 1 ज0 2014 प्रभात प्रकाशन।
6. कर्पूरी कुंजः–सप्तक्रांति के संवाहक–जननायक कर्पूरी ठाकुर
   स्मृति ग्रंथ–संरक्षक–रामनाथ ठाकुर
   भूमिका–हरिवंश, उपसभापति राज्यसभा दिल्ली
   प्रभात प्रकाशन, 15 FEB 2020
7. मंडल कमीशनः– राष्ट्रनिर्माण की सबसे बड़ी पहल भूमिका और
   अनुवाद सत्येन्द्र पीएस प्रस्तावना जस्टिस पी0 बी0 सावंत
8. गोपालगंज से रायसीना–मेरी राजनीतिक यात्रा लालू प्रसाद
   यादव, संपादन–नलिन वर्मा
9. आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन–एम. एन. श्रीनिवास (राजकमल प्रकाशन)
10. भारत की राष्ट्रीय संस्कृति–एस. आबिद हुसैन, (नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया)
11. बिहार की विरासत और नव–निर्माण की चुनौती,
    (संपादक शिवदयाल)
12. बिहार का सच–कृषि संकट और खेतिहर–संघर्ष (लेखक–उर्मिलेश)
    प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली

13. आर्थिक विकास–बिहार की त्रासदी, लेखक–डॉ0 प्रधान हरिशंकर प्रसाद एवं डॉ0 मीरा दत्ता

14. गाँधीजी का आर्थिक एवं सामाजिक चिंतन–प्रदीप कुमार पाण्डेय (हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय)

15. गाँधीजी का पंचायती राज–डॉ0 महेश्वर दत्त, (दिल्ली वि0 वि0)

16. गाँधीजी, नेहरू, टैगोर एवं अम्बेडकर–डॉ0 एम.सी.जोशी (इलाहाबाद वि0 वि0)

17. सुशासन के आईने में नया बिहार–पंकज कुमार झा (प्रभात प्रकाशन 1 ज0 2010)

18. भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पुष्ठभूमि–ए. आर. देसाई